

नगर परिषद, बहरोड

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BEHROR/FIRENOC/2025-26/57579
जारी दिनांक: 14-OCT-2025 वैधता दिनांक: 13-OCT-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: PREM GURJAR
आवेदक का पता: VILLAGE - BIJORAWAS, TEH - BEHROR, DISTT - KOTPUTLI-BEHROR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन BHARTIYA PRASHIKSHAN SANSTHAN, KHASRA NO. 287, BIJORAWAS, BEHROR, BEHROR, KOTPUTLI-BEHROR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

2. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे ।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. समय- समय पर नेशनल बिल्डिंग कोड में होने वाले संशोधनों की भी पालना करनी होगी।
5. यदि राज्य सरकार या परिषद द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
6. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. नक्शों में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो आपके नक्शों को पुनः अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
11. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
12. उक्त एनओसी किसी भी भूमि संबंधित विवाद हेतु मान्य नहीं होगी।



Signed by: Ajay Singh
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: BEHROR, Rajasthan
Date: 14/10/2025 18:51:45



अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, बहरोड